भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3590

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

ओआईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति के मामले

3590. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे**:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) ने जुलाई, 2002 में अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी थी और नवंबर, 2014 में इसे पुनः शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीतिगत अंतराल के कारण वर्ष 2002 से नवंबर, 2014 के दौरान कंपनी के मृतक कार्मिकों के पात्र आश्रित नियुक्ति से वंचित रह गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी द्वारा वर्ष 2014 की नई योजना के तहत मानवीय आधार पर पुराने लंबित पात्र मामलों की समीक्षा किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या तकनीकी योग्यता (मैकेनिकल डिप्लोमा) रखने वाले आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए उक्त कंपनी को क्या दिशा-निर्देश दिए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां (पीएसआईसी) बोर्ड अभिशासित वाणिज्यिक कंपनियां हैं। बोर्ड समय-समय पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है। वर्ष 2002 में दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके बाद हुई मृत्यु के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के बजाय मृत कर्मचारी के कानूनी वारिस को मौद्रिक मुआवजे (एकमुश्त राशि) के भुगतान के लिए एक योजना शुरू की गई थी। उन कार्मिकों जिनकी मृत्यु दिनांक 01-06-2002 को या उसके बाद हुई थी, उनके पात्र आश्रितों को मौद्रिक मुआवजे (एकमुश्त राशि) के भुगतान की योजना के अंतर्गत कवर किया गया था।

इसके बाद 2014 में इस नीति की समीक्षा की गई और दिनांक 01.11.2014 से प्रभावी करते हुए मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया।

2014 की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदक को प्रशासन की दक्षता के रखरखाव की अपेक्षा के अनुरूप पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और तकनीकी अर्हता और अनुभव को पूरा करना होगा।
